22/06/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उप।
प्रार्थी अधिवक्ता उप। प्रार्थी ने प्रा. पत्र पेश कर अंकित
मे वर्णित पाइपलाइन डिस्चार्ज की सहमति से बिछवाना
स्वीकार करते हुये प्रा पत्र को निरस्त किये जाने का
निवेदन किया। चूंकि अनेक प्रार्थी के प्रा पत्र
मुकेश सिंह अनुसार पाइपलाइन सहमति से मौके पर बिछवा
दी है तथा अब किसी प्रकार का अनुतोष शेष
नहीं रहा है अत प्रार्थना पत्र U/S 251A अधीन विद्युत
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। मिसल फैसल
शुमार होकर नंबर से [illegible] हो।
SDO